नाबार्ड
न्यूज़लेटर
खण्ड -21 सितंबर 2010 संख्या -6

डेरी और मुर्गीपालन जोखिम पूँजी निधि -डेरी उद्यमिता विकास योजना (डीइडीएस)

पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, भारत सरकार द्वारा कार्यान्वयन मोड को ब्याज मुक्त ऋण से (आईएफएल) से पूँजी उपदान में परिवर्तित करने, यूनिट लागतों को संशोधित करने, कुछ नए घटकों को शामिल करने एवं योजना के नाम को बदलकर "डेरी उद्यमिता विकास योजना (डीइडीएस)" देने का निर्णय लिया गया है.

2. यह संशोधित योजना 01 सितम्बर 2010 से प्रभावी है. 2010-11 के दौरान इस योजना हेतु बजट का प्रावधान रु.32.40 करोड़ हैं (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए रु.4.18 करोड़ तथा तत्कालीन डेरी जोखिम पूँजी निधि योजना (डीवीसीएफ) के तहत जारी निधि को मिलाकर).

3. 01 सितम्बर 2010 को या उसके पश्चात् बैंकों द्वारा संवितरित और मंजूर प्रस्तावों को संशोधित योजना अर्थात् डीइडीएस के अंतर्गत ही कवर किया जाएगा. प्रस्तावों पर निधियों की उपलब्धता के अधीन प्राप्ति के क्रमानुसार विचार किया जाएगा.

4. डीवीसीएफ योजना के तहत जिन दावों के संबंध में आईएफएल, नाबार्ड द्वारा पहले ही मंजूर और जारी किया जा चुका है उन्हें दोबारा नहीं खोला जाएगा.

5. पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन (डीएएचडी & एफ) विभाग, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, इस योजना के संचालन के लिए केन्द्र विभाग है. सब्सिडी की मंजूरी और उसे जारी करना, निधियों की उपलब्धता और डीएएचडी & एफ, भारत सरकार और नाबार्ड द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुपालन के अधीन है.

(संदर्भ सं.एनबी.टीएसडी/ 1660 /वीसीएफ-4/2010-11 दिनांक 21 सितम्बर 2010 परिपत्र सं. 186 /टीएसडी- 03 /2010)

रास बैंकों/ मस बैंकों के निदेशक मंडल के निदेशकों की भूमिका- आचार संहिता (क्या करें और क्या न करें)

1) अल्पावधि सहकारी ऋण संरचना के लिए भारत सरकार के पुनरुत्थान पैकेज के कार्यान्वयन और कृषि ऋण माफी तथा ऋण राहत योजना 2008 के लागू होने के बाद सहकारी बैंकों को अपने निदेशक मंडल को और अधिक सुदृढ़ करने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी ड्यूटी को प्रभावी रूप से निष्पादित कर सकें. इस परिप्रेक्ष्य में निदेशक मंडल की आचार संहिता (क्या करें और क्या न करें) के समीक्षा की गई है.

2. **निदेशक मंडल का गठन - निदेशकों का पात्रता :**बैंक के निदेशक मंडल के गठन के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित उपयुक्त और उचित मानदंडों को अपनाया जाना चाहिए. चूंकि सदस्यों में से ही निदेशकों

का चुनाव होता है (सहयोजित और नामित निदेशकों को छोड़कर) अत: वे व्यक्ति जो सदस्य के रूप में भी प्रवेश के पात्र नहीं हैं, वे प्रोमोटर के रूप में कार्य नहीं कर सकते हैं अथवा बैंक के निदेशक नहीं बन सकते हैं. विशेषकर, ऐसे व्यक्ति जो किसी फर्म में उधार देने, वित्तपोषण और निवेश संबंधी कार्यकलापों में निजी हैसियत अथवा प्रोपराइटर/ साझेदार/ कर्मचारी/ निदेशक के रूप में कार्य करते हैं तथा वे भी जो मॉडल उप नियम सं.9 की धारा बी(ii)/ अथवा सहकारी समिति अधिनियम (संबंधित) में निहित प्रावधानों के अनुसार किसी अपराधिक मामले में दोषी पाये जाने के कारण पात्र नहीं हैं जिसमें नैतिक चरित्रहीनता भी शामिल है. निदेशक मंडल भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड, राज्य और केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक रूप से नीतियों को बनाने के काम से जुड़े होते हैं. बोर्ड को बैंक के दैनंदिन प्रशासनिक कार्य मुख्य कार्यपालक अधिकारी पर छोड़ते हुए बैंक के कार्यों का समग्र पर्यवेक्षण करना चाहिए और उन पर नियंत्रण रखना चाहिए.

3. निदेशक मंडल में पेशेवर रुख :सहकारी बैंक के निदेशकों को जानकर और व्यक्ति के रूप में उच्च स्तर की सत्यनिष्ठा होनी चाहिए. उन्हें मिलजुलकर कार्य करना चाहिए. यही नहीं, उन्हें बैंक के कार्यों का सक्षम प्रबंधन करना चाहिए और सुचारू रूप से नेतृत्व प्रदान करना चाहिए. इसके लिए बोर्ड के निदेशकों में एक सुनिश्चित स्तर का पेशेवराना तौर-तरीका होना चाहिए. बोर्ड में पेशेवराना रुख को सुनिश्चित करने के लिए बैंक को इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित 'उपयुक्त और उचित मानदंड' का दृढ़ता से पालन करना चाहिए. इसे सुनिश्चित करने के लिए बैंकों को अपने उपनियमों में उचित प्रावधान भी करना चाहिए.

4. निदेशक मंडल की भूमिका - आचार संहिता (क्या करें और क्या न करें)

सहकारी बैंक के निदेशक मंडल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उचित ऋण नीतियां अपनायी जाती हैं और उनका अनुपालन किया जाता है. यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड/ भारत सरकार/ राज्य सरकार द्वारा जारी नीतियों से संबंधित सभी परिपत्रों तथा अन्य सामग्रियों को बोर्ड का प्रत्येक सदस्य देखता है और उसे बोर्ड के समक्ष उपयुक्त कार्रवाई के लिए प्रस्तुत किया जाता है. 'क्या करें और क्या न करें' पर जारी परिपत्र की समीक्षा की गई है और एक निर्देशनात्मक आचार संहिता उक्त परिपत्र के अनुलग्नक में दी गई है जिसमें सहकारी बैंक के निदेशकों के दिशानिर्देश के लिए क्या करें और क्या न करें शामिल है. आचार संहिता की अनुपालना को सुनिश्चित करने की दृष्टि से हमें आशा है कि एक बार मानकों के बन जाने के बाद उप-रजिस्ट्रार सहकारी समिति और नाबार्ड को साक्ष्य बनाकर उस पर निदेशकों का हस्ताक्षर कराया जाय. यह सूची निर्देशनात्मक है और व्यापक नहीं है. ये संबंधित बैंकों के सहकारी कानूनों और अथवा उपनियमों में विहित निदेशक मंडल के लिए निर्दिष्ट ड्यूटी, उत्तरदायित्व और अधिकारों का स्थानापन्न नहीं होंगे.

(अधिक जानकारी के लिए देखें संदर्भ सं.एनबी.आईडीडी.को-ऑप.एसटी / 1111 / वी.20 / 2010-11 दिनांक 21 सितम्बर 2010 परिपत्र सं.187 /आईडीडी - 09 /2010)

वित्तीय समावेशन

2000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गाँव में बैंकिंग आऊट लेट के माध्यम से मार्च 2012 तक बैंकिंग सेवाएँ प्रदान करने की रूपरेखा - जिला विकास प्रबंधकों की सहभागिता

वर्ष 2012 तक समग्र वित्तीय समावेशन का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से वर्ष 2012 को वित्तीय समावेशन वर्ष घोषित करने का निर्णय लिया गया है. भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा वित्तीय समावेशन को काफी

महत्व दिया जा रहा है. इसलिए इसके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसकी रूपरेखा तैयार करने की आवश्यकता है. इस रूपरेखा में अन्य बातों के साथ वित्तीय साक्षरता के लिए योजना, बीसी आऊटलेटों सहित अन्य आऊटलेट खोलना, सभी पात्र उधारकर्ताओं को केसीसी / जीसीसी / एससीसी जारी करना, बीसी / बीएफ की पहचान करना शामिल है. इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक जिला विकास प्रबंधक को अपने जिले के लिए रूपरेखा तैयार करनी होगी जिसमें यह उल्लेख करना होगा कि वित्तीय सेवाएँ प्रदान कर सभी बैंक रहित क्षेत्रों को 2012 तक वित्तीय समावेशन के दायरे में लाने के लिए वे क्या कदम उठाएंगे. लगभग 1000 की जनसंख्या वाले पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्र एवं छोटी बस्तियाँ (हैमलेट्स) भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है. वित्तीय समावेशन की योजना तैयार करते समय इन बस्तियों को भी ध्यान में रखें.

उनकी द्विमासिक संरचित बैठक (बीएसएम) के दौरान जिला विकास प्रबंधकों के साथ संबंधित मुद्दों पर चर्चा करने के लिए वित्तीय समावेशन विभाग, प्रधान कार्यालय से एक वरिष्ठ अधिकारी को प्रतिनियुक्त किया जाएगा.
(अशा.पत्र सं.एनबी.एफआईडी / 814 / एफआई-01 / 2010-11 दिनांक 09 सितंबर 2010 परिपत्र सं. 180 / एफआईडी - 15 / 2010)

वित्तीय समावेशन निधि और वित्तीय समावेशन प्रौद्योगिकी निधि से वित्तीय सहायता के तौर-तरीके - पात्र वित्तीय संस्थाओं को प्रदान की जाने वाली सहायता की सीमा में वृद्धि

एजेंसी-वार सहायता की सीमा और सहायता की पद्धति में निम्नानुसार संशोधन करने का निर्णय लिया गया है :

संस्था	**सहायता की सीमा(परियोजना परिव्ययके प्रतिशत के रूप में)**	**क्षेत्र**
वाणिज्यिक बैंक	(i) 100%	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड,हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह
	(ii) 60%	वित्तीय समावेशन पर गठित समिति की रिपोर्ट के अनुसार 256 जिले और10 उपद्रवग्रस्त जिले {खम्मम (आंध्र प्रदेश); बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, लातेहर, पश्चिम सिंहभूम (झारखंड); देवगढ़, गजपति, मालकांगिरी, रायगढ़, सम्बलपुर (उड़ीसा)}; उक्त (i) के अंतर्गत शामिल किए गए जिलों के अलावा और देश के शेष
सहकारी संस्थाएँ और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	100%	पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम, जम्मू और कश्मीर, उत्तराखंड, झारखंड,हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा अंड़मान और निकोबार द्वीपसमूह
क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	80%	देश के शेष क्षेत्र

सहकारी संस्थाए	90%	देश के शेष क्षेत्र

2. सहायता की सीमा के लिए संशोधित दरें 16 सितंबर 2010 या उसके बाद प्राप्त प्रस्ताव के लिए लागू होंगी.

(संदर्भ सं.एनबी.एफआईडी / 1030 / एफआई - 01 / 2010-11 दिनांक 30 सितंबर 2010 परिपत्र सं. 190 / एफआईडी - 16 / 2010)

वाणिज्य बैंकों के लिए स्वत: पुनर्वित्त सुविधा (एआरएफ) - चुकौती अवधि

अब यह निर्णय लिया गया है कि गैर-कृषि क्षेत्र के लिए भी वाणिज्य बैंकों को 5 वर्ष की चुकौती अवधि की सुविधा प्रदान की जाए. यह संशोधित प्रक्रिया पुनर्वित्त आहरण के सभी लंबित आवेदनों के साथ-साथ भविष्य में प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर लागू होगी.

(संदर्भ सं.राबैं.आईसीडी/ 1659 /पीपीएस-162/2010-11 दिनांक 27 सितम्बर 2010 परिपत्र संख्या 188 /आईसीडी- 39 /2010)

कृषि और ग्रामीण विकास से संबंधित विषयों पर मौलिक रूप से हिन्दी में पुस्तक लेखन योजना

1) पात्रता :बैंक के सभी सेवारत अधिकारी/ कर्मचारी व सेवा निवृत्त स्टाफ सदस्य इस मौलिक पुस्तक लेखन योजना में भाग लेने के पात्र होंगे, परंतु प्रायोजित पुस्तक-लेखन का प्रस्ताव पुस्तक अनुमोदन समिति के अनुमोदन के अधीन रहेगा.

2) प्रोत्साहन : कर्मचारी 10,000/- रुपये के प्रोत्साहन अनुदान के लिए पात्र होगा. प्रोत्साहन की इस राशि को बैंक द्वारा दो किश्तों में दिया जाएगा. पहली किश्त प्रोत्साहन राशि का 80 प्रतिशत (अर्थात रु.8,000/-) एतदर्थ गठित की जानेवाली पुस्तक अनुमोदन समिति द्वारा पुस्तक की रूपरेखा का अनुमोदन होने पर दी जाएगी. प्रकाशन से पूर्व पांडुलिपि को भाषिक दृष्टि से अनुमोदन हेतु राजभाषा प्रभाग, प्रधान कार्यालय को भेजना होगा. शेष 20 प्रतिशत अर्थात् रु.2,000/- की राशि पुस्तक छपने पर और उसकी 02 प्रतियाँ राजभाषा प्रभाग को प्रस्तुत करने पर दी जाएगी. लेखक से पुस्तक की दो प्रतियाँ प्राप्त होने के बाद विषय से संबंधित विशेषज्ञ के पास समीक्षा हेतु एक प्रति भेजी जाएगी. विशेषज्ञ की समीक्षा के आधार पर अनुमोदन समिति बैंक के लिए उपयोगी और सार्थक पुस्तकों के लेखन को प्रोत्साहित करने हेतु उक्त रु.10,000/- के अतिरिक्त भी प्रोत्साहन राशि प्रदान कर सकती है जो पुस्तक की पृष्ठ संख्या महत्ता और गुणवत्ता के आधार पर निर्धारित की जाएगी. यह अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि न्यूनतम रु.10,000/- और अधिकतम रु.40,000/- तक हो सकती है. इस प्रकार कुल प्रोत्साहन राशि किसी भी मामले में रु.50,000/- से अधिक नहीं होगी.

3) यदि लेखक छह माह या बैंक द्वारा अनुममत अतिरिक्त अवधि के अंदर पुस्तक की पांडुलिपि प्रस्तुत नहीं करता है तो उसे बैंक द्वारा प्रदत्त पूरी राशि वापस करनी होगी.

4) **योजना की मुख्य बातें निम्नानुसार हैं :**

- पुस्तक का प्रकाशन, लेखक अधिमानत: किसी प्रकाशक से करवायेगा.
- पुस्तक में प्रकाशित सामग्री के लिए लेखक पूर्णत: उत्तरदायी होगा.

- प्रकाशित पुस्तक के वितरण/विपणन का काम प्रकाशक/लेखक स्वयं करें.
- पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी जानी चाहिए और अनुवाद पर आधारित नहीं होनी चाहिए.
- पुस्तक में मानक शब्दावली, अर्थात् भारत सरकार अथवा नाबार्ड/ भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा स्वीकृत शब्दावली का ही प्रयोग किया जाए.
- पुस्तक अनुमोदन समिति को प्रस्तुत की जानेवाली रूपरेखा पृष्ठ के केवल एक तरफ डबल स्पेस में स्वच्छ टंकित होनी चाहिए.
- पुस्तक में पृष्ठों की संख्या कम से कम 150 हो तो अच्छा है और उसका आकार, टाइपसेटिंग इत्यादि पुस्तक के मानक के अनुरूप होनी चाहिए.

(संदर्भ सं.राबैं.प्रका.राजभाषा /323/ 58(8) / 2010-11 दिनांक 15 सितम्बर 2010 परिपत्र सं.184/ राजभाषा-01 / 2010)

सम्पादकीय बोर्ड-एस के मित्रा, अमरेश कुमार, पी एल बेहरा, डॉ. प्रकाश बक्शी और वी रामकृष्ण राव

राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, बान्द्रा-कुर्ला काम्पलैक्स, मुंबई - 400 051 के लिए **बी.जयरामन** *द्वारा सम्पादित और प्रकाशित.*